

28.11.25

पत्रावली-पेश हुई | अधिवक्ता वादीनी
 उपस्थित | पत्रावली का अवलोकन
 किया गया | प्रकरण प्रतिवादीगण की
 तलबी में विचाराधीन है | अधिवक्ता
 वादीनी को प्रतिवादीगण की तलबी
 पूर्ण करने हेतु पर्याप्त अवसर दिये
 जाने के उपरान्त अधिवक्ता वादीनी
 एवं स्वयं वादीनी द्वारा प्रतिवादीगण की
 तलबी पूर्ण नहीं करवाई गई है |

इससे स्पष्ट है कि अधिवक्ता वादीनी
 एवं स्वयं वादीनी अपने वाद को लेकर
 गंभीर नहीं हैं |

लिहाजा आदेशिका दिनांक 04.07.25
 की पालना में वादीनी का वाद अहम-
 पालना में इसी स्तर पर आदेश-09
 नियम 05 संपठित धारा 151 CPC
 के तहत खारिज किया जाता है |

पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दाखिल
 दफ़तर हो व नंबर से कम है |

सहायक जज
 (S.D.O.) बाबू